

Regd

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग / नर्स-1 / लूज-01 / 25811 / 2024 / 60

दिनांक:- 15/2/2024

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
अलवर।

विषय:-राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में दायर अपील संख्या 3008/2023 श्री हरदयाल सैनी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य की वर्तमान स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध में।

संदर्भ:-निदेशक पेंशन विभाग के पत्रांक प-3(490) नि.पे.वि./विधि/अपील/2023/5670-जे दिनांक 01.01.2024 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संन्दर्भित पत्र के क्रम में राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में दायर अपील संख्या 3008/2023 श्री हरदयाल सैनी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के संबंध में निदेशक पेंशन विभाग द्वारा प्रकरण के संबंध में लिखते हुए प्रति निदेशालय को भिजवाई गई है, के द्वारा अवगत कराया गया है कि कार्मिक के तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ तथा वेतन संशोधन के पश्चात समस्त सेवानिवृति परिलाभ पर 18 प्रतिशत ब्याज सहित दिये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

अतः पत्र की प्रति पुनः संलग्न भिजवाते हुए निर्देशित किया जाता है कि आप द्वारा प्रकरण में आज दिवस तक क्या कार्यवाही की गई है की पूर्ण जानकारी भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

(सुरेश नवल)

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग / नर्स-1 / लूज-01 / 25811 / 2024 / 60

दिनांक:- 15/2/2024

प्रतिलिपी:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि अपील संख्या 3008/2023 श्री हरदयाल सैनी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य की रिट की प्रति भिजवाना सुनिश्चित करें।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ जोन जयपुर।
3. प्रभासी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
4. रक्षित / गार्ड पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref  
5627966

Document certified by SURESH  
NAWAL <add4ng@gmail.com>.

Digitally Signed by Suresh  
Kumar Naval

Designation: Director

Date: 15-02-2024 10:16:41